न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 17/2021

अपीलार्थी

1. ममता कुंवर पुत्री मोती कुंवर उर्फ मोहन कुंवर जाति राजपूत निवासी सनवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्रीमती पेपकुंवर पुत्री श्री वचनसिंह पत्नि श्री कल्याणसिंहजी जाति राजपूत निवासी मणोरा तहसील सिरोही जिला सिरोही।
3. श्री तगतसिंह पुत्र श्री हमेरिंगजी जाति राजपूत निवासी अचपुरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्री मंगलसिंह पुत्र श्री हमेरिंगजी जाति राजपूत निवासी अचपुरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोहीं
5. श्री हीरसिंह पुत्र श्री हमेरिंगजी जाति राजपूत निवासी अचपुरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
6. विनोद कुंवर पुत्र मोती कुंवर उर्फ मोहन कुंवर जाति राजपूत निवासी सनवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
7. श्री रघुवीरसिंह पुत्र मोती कुंवर उर्फ मोहन कुंवर जाति राजपूत निवासी सनवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
8. श्री महावीरसिंह पुत्र मोती कुंवर उर्फ मोहन कुंवर जाति राजपूत निवासी सनवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
9. श्री छैलसिंह पुत्र उगीकुंवर पत्नि श्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी धान्ता तहसील व जिला सिरोही।
10. श्री सवाईसिंह पुत्र उगीकुंवर पत्नि श्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी धान्ता तहसील व जिला सिरोही।
11. संतोष कुंवर पुत्री उगीकुंवर पत्नि श्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी धान्ता तहसील व जिला सिरोही।
12. सीमा कुंवर पुत्री उगीकुंवर पत्नि श्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी धान्ता तहसील व जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा अधिवक्ता [illegible]।
2. नायब तहसीलदार (पेरोकार [illegible] ज.) [illegible] 2 अनुपस्थित।
3. श्री शैतान [illegible] अधिवक्ता रेस्प[illegible]

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:06:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

निर्णय दिनांक : 12.10.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत उप तहसीलदार भावरी द्वारा उनके नामान्तरकरण संख्या 384 दिनांक 24.12.2010 के विरूद्ध दिनांक 16.12.2014 को प्रस्तुत की जिस पर अपीलांट का म्याद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम, 1963 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 06 से 12 की ओर से अधिवक्ता श्री शैतान खरौर ने वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी गई एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम, 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई एवं अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के पक्षों को सुना गया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि गांव अचपुरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में खसरा संख्या 121, 122, 126, 127 व 128 कुल किता 05 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा कृषि आराजी आई हुई है। यह है कि उक्त आराजी के खातेदार श्रीमती उगीकुंवर व श्रीमती मोतीकुंवर पुत्री हमेरिंगजी का देहावसान होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 384 को स्वीकृत करने में भारी कानूनी व वाक्यातन भूल की है। यह है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व. श्री उगीकुंवर व श्रीमती मोतीकुंवर की मृत्यु होने पर शेष सहखातेदारान के नाम को छोडकर उक्त नामान्तकरण को स्वीकृत किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व श्रीमती उगीकुंवर व श्रीमती मोतीकुंवर के वारिसान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की है। स्व. श्रीमती मोतीकुंवर उर्फ मोहनकुंवर के वारिसान में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 8 मौजूद है एवं इसी प्रकार श्रीमती उगीकुंवर के वारिसान में रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से 12 मौजूद है लेकिन उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 384 को पारित करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह है कि सहखातेदार श्रीमती आशाबाई बेवा श्री हमेरिंगजी का देहावसान हो चुका है जिसके वारिसान एवं कायम मुकाम अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 12 ही है। यह है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 12 अपने अपने खातेदारी हक जताते वादग्रस्त भूमि के खातेदार कृषक है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 06 से 12 को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया है। यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 06 से 12 आवश्यक पक्षकार है तथा स्व. श्रीमती उगीकुंवर व मोतीकुंवर के जायन्दा वारिसान होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 12 बनाकर यह अपील प्रस्तुत की है इनके विरूद्ध कोई दादरसी नहीं चाही गई है, अपील अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 06 से 12 के हित के लिए प्रस्तुत की गई है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व. श्रीमती उगीकुंवर एवं स्व. श्रीमती मोतीकुंवर की मृत्यु के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 384 दिनांक 24.12.2010 के तहत स्व. श्रीमती उगीकुंवर व स्व. श्रीमती मोतीकुंवर के वारिसान में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 06 से 12 के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:06:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

किए बिना ही उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया है। यह है कि सहखातेदारान स्व. श्रीमती आशाबाई बेवा श्री हमेरिंगजी की मृत्यु हो गई है उनकी जगह अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 12 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण को दर्ज करने से पूर्व किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई है एवं अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किए बगैर उक्त आदेश को पारित किया गया है, जो खारिज किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नामान्तरकरण संख्या 384 दिनांक 24.12.2010 को निरस्त किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। पटवारी हल्का अचपुरा की रिपोर्ट के आधार पर खातेदार श्रीमती उगीकुंवर व श्रीमती मोतीकुंवर की फौत होने से उनके भाई वार्ड पंच मंगलसिंह द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र किए जाने के उपरान्त उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या दो से पांच एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 06 से 12 के अधिवक्ता को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में कई मौके दिए जा चुके है। अतः उनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है।

दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विवादित भूमि गांव अचपुरा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में खसरा संख्या 121, 122, 126, 127 व 128 कुल किता 05 रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा कृषि आराजी दर्ज थी। यह है कि उक्त आराजी के खातेदार श्रीमती उगीकुंवर व श्रीमती मोतीकुंवर पुत्री हमेरिंगजी का देहावसान होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 384 दिनांक 24.12.2010 को स्वीकृत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व. श्री उगीकुंवर व श्रीमती मोतीकुंवर की मृत्यु होने पर उनके वारिसानों के नाम को छोडकर उक्त नामान्तकरण को स्वीकृत किया गया है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व श्रीमती उगीकुं[illegible]मती मोतीकुंवर के वारिसान के सम्बन्ध में किसी भी प्रक[illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि स्व. श्रीमती [illegible]कुंवर उर्फ मोहनकुंवर के वारिसान में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं[illegible] इसी प्रकार श्रीमती उगीकुंवर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:06:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

वारिसान में रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से 12 मौजूद है लेकिन उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 384 को पारित किया जाना प्रतीत होता है। यह है कि सहखातेदार श्रीमती आशाबाई बेवा श्री हमेरिंगजी का देहावसान हो चुका है जिसके वारिसान एवं कायम मुकाम अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 12 ही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करते समय स्व. श्री हमेरिंगजी की पुत्रियों के नाम को विलोपित कर पत्नि एवं पुत्रों के नाम उक्त नामान्तरकरण को पारित किया गया है, जो न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व दस्तावेजों एवं उनके समस्त वारिसानों की जांच करनी चाहिए थी, परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की जांच किए बगैर उक्त नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरणकरण संख्या 384 दिनांक 24.12.2010 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः तहसीलदार, पिण्डवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर रेकर्ड एवं तथ्यों की जांच कर विधि में प्रदत्त प्रावधानों के तहत विधि सम्मत नये सिरे से नामान्तरकरण आदेश पारित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:06:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner